

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 से 3

अनुसूचित जाति केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हेतु ₹ 2076.80 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,76,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 4 से 5

एकीकृत सेवा योजना अंतर्गत बच्चों के वृद्धि निगरानी उपकरण क्रय हेतु ₹184.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,84,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 से 7

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आधार पंजीयन व अपडेशन हेतु ₹119.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 8

प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 9

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत शक्कर प्रदाय हेतु ₹2400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 10 से 11

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 9200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 92,00,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 12

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 2126.52 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,26,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 13

प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र के उद्योगों को ब्याज अनुदान मेद में राशि ₹ 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 14

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों के लागत पूंजी अनुदान मेद में राशि ₹ 1400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4810

### मद क्रमांक 15

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹ 420.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 5275

### मद क्रमांक 16

संचार क्रांति योजना हेतु ₹ 1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।